न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 20/2017

अपीलांट्स–

1. रणजीतलाल पुत्र जवेरीलाल
2. बालकिशन पुत्र जवेरीलाल
3. नन्दकिशोर पुत्र जवेरीलाल
4. नेनूराम पुत्र जवेरीलाल
5. ओमा देवी पुत्री जवेरीलाल पत्नी कन्हैयालाल भाटी निवासी समदड़ी
6. किरण पुत्री जवेरीलाल पत्नी मूलचन्द भाटी निवासी जोधपुर
7. मिसरी देवी पत्नी जवेरीलाल

जाति बोराणा घांची निवासी लूदराड़ा पटवार मण्डल महिलावास हाल अर्जियाणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. अंकित बोराणा पुत्र जवेरीलाल निवासी मकान संख्या 18–19 डारा निवास, भादु मार्केट, रूपरजत टाउनशिप के पास, पाल रोड़ जोधपुर
2. अचलचन्द पुत्र जवेरीलाल जाति बोराणा घांची निवासी लूदराड़ा हाल अर्जियाणा तहसील शिव जिला बाड़मेर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.10.2016 जो प्रकरण संख्या 04/2016 मे तहसीलदार सिवाना अनवान अंकित बोराणा बनाम सरकार में धारा 135 रा0भू0रा0अधिनियम 1956 के तहत पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री सम्पतराज बोथरा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार रेस्पो0 सं. 3 की ओर उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 19/02/2020

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार सिवाना के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के तहत प्रकरण सं.

जिला कलक्टर बाड़मेर

04/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 20.10.2016 के विरूद्ध धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 के अन्तर्गत दिनांक 16.05.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ ही धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम लूदराड़ा के खसरा नम्बर 156, 376/150 व 364/151 रकबा क्रमशः 22–02, 09–08, 13–01 बीघा कुल रकबा 44–11 बीघा भूमि अन्य खातेदारान के साथ ही जवेरीलाल पुत्र भाणुजी के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार जवेरीलाल के फोत होने पर रेस्पोडेंट सं. 1 अंकित बोराणा पुत्र अचलचन्द बोराणा जाति घांची निवासी मकान सं. 18–19 भादु मार्केट, रूपरजत टाउनशिप के पास, जोधपुर ने तहसीलदार सिवाना के समक्ष आवेदन पत्र एवं उसके संलग्न मृतक खातेदार जवेरीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अपंजिकृत वसीयतनामा प्रस्तुत कर उक्त भूमि में खातेदार जवेरीलाल के स्थान पर उसका नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने का निवेदन किया। इस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना ने प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज कर प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजों में अंकित गवाहान को परीक्षित कराया एवं हल्का पटवारी से भूमि एवं राजस्व रेकर्ड की रिपोर्ट तलब की गई। रेस्पोडेंट द्वारा वसीयतनामा के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया होने से जनसाधारण की आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया। सार्वजनिक रूप से समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित होने तथा निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्तियां प्रस्तुत नहीं होने पर मृतक खातेदार की ओर से निष्पादित वसीयत के आधार पर उसकी खातेदारी भूमि में रेस्पोडेंट का नाम दर्ज किये जाने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.10.2016 पारित किया गया। इस पर तहसीलदार सिवाना के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.05.2017 को प्रस्तुत की गई।

3. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब कर वास्ते अवलोकन हमफीता किया गया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना। प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विवादित भूमि भाना उर्फ भाणुलालजी पुत्र खीमारामजी के समय की पैतृक भूमि हैं तथा भाणुलाल के देहान्त होने पर उसके चारों पुत्रों नारायणजी, मोहनजी, बद्रीलालजी एवं जवेरीलाल के नाम दर्ज हुई, जिसमें प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा आता हैं। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने से अपीलांट्स का जन्म से हक अधिकार उत्पन्न हो गया था। रेस्पोडेंट सं. 2 ने जवेरीलाल के फोत होने पर फर्जी एवं कूटरचित अपंजिकृत वसीयतनामा अपने पुत्र रेस्पोडेंट सं. 1 के नाम तैयार करवाया तथा इस वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने का अपीलाधीन आदेश जारी करवा दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त फर्जी एवं कूटरचित वसीयतनामा के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करनें में भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई हैं क्योंकि विवादित भूमि जवेरीलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होकर पैतृक भूमि थी। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मृतक खातेदार जवेरीलाल के जायन्दा पुत्रों एवं पुत्रियों को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा न ही विवादित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही नोटिस व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इस प्रकार अपीलांट्स हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश की जानकारी नहीं हुई, किन्तु दिनांक 04.05.2017 को रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 ने उक्त अपीलाधीन निर्णय अपने पक्ष में होना बताते हुए अपीलांट्स को मौके से बेदखल करने की धमकियां दी तब अपीलांट्स ने अपीलाधीन निर्णय की नकलें मांगी जो दिनांक 04.05.2017 को प्राप्त होने से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें एवं दिनांक 20.10.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट सं. 1 के अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2016 राजस्थान भू–राजस्व

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर बाड़मेर

अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत मृतक खातेदारी की ओर से निष्पादित वसीयतनामा की नियमानुसार जांच एवं वास्तविक हितबद्ध पक्षकारान के सम्बन्ध मे जांच एवं साक्ष्य सबूत रेकर्ड पर लेते हुए भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य दस्तावेजों में यह भली–भांति साबित कराया हैं कि विवादित भूमि में मृतक खातेदार जवेरीलाल की स्वअर्जित सम्पति का अमलदरामद रेस्पोडेंट सं. 1 के पक्ष में किया जावें। इस आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार भू–अभिलेख निदेशक के रूप मे सम्भागीय आयुक्त है। इस प्रकार यह अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार मे नही होने से खारिज फरमाई जावें। इसके साथ ही यह भी प्रकट किया कि अपीलाधीन कार्यवाही एवं आदेश पारित होने से पूर्व सार्वजनिक रूप से आपत्तियां आमंत्रित किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में कराया गया था जिसके संबंध में तत्समय अपीलांट्स द्वारा कोई उज्र–एतराज प्रस्तुत नहीं किया तथा अपीलाधीन आदेश पारित हो जाने के पश्चात करीब 8 माह के विलम्ब से यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट्स द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में विलम्ब का कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किया हैं जबकि विधि अनुसार एक–एक दिन के विलम्ब का ठोस एवं तथ्यात्मक कारण दिया जाना बाध्यकारी हैं। इस प्रकार अपीलांट्स की यह अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के साथ ही मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं जो खारिज फरमाई जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

7. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में गुणावगुण पर निश्चय करने से पूर्व अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा विधिक बिन्दुओं पर प्रकट किये गये आक्षेप पर विवेचन किया जाना आवश्यक हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रकट किया गया हैं कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिवाना द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के अधीन पारित किया गया हैं। राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.10.1956 के द्वारा धारा 135(2) के तहत उत्तराधिकार के विवादित नामान्तरकरण निस्तारित करने बाबत तहसीलदार को भू–अभिलेख अधिकारी के रूप में शक्तियों का उपयोग करने हेतु सशक्त किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार

जिला कलक्टर बाड़मेर

जवेरीलाल के फोत होने पर उत्तराधिकार के तहत वसीयत के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु अपीलाधीन आदेश भू–अभिलेख अधिकारी के रूप में पारित किया गया हैं तथा इस आदेश के विरूद्ध धारा 75(1)(च) के तहत प्रथम अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार भू–अभिलेख निदेशक के रूप में सम्भागीय आयुक्त को हैं। इस प्रकार अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत यह अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के विचारण योग्य नहीं हैं, ऐसे में मयाद एवं गुणावगुण के बिन्दु पर किसी प्रकार का विवेचन किया जाना विधि अनुकूल उचित नही हैं। लिहाजा उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर